न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।

परिवाद पत्र संख्या :–161/2019

आदेश

25.10.2019 परिवादी की हाजरी दी गई है । अभिलेख आदेश हेतु निश्चित है । अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया ।

अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि परिवादी कृष्णा साव के द्वारा अभियुक्तगण नामतः विकास कुमार, काशी नाथ साव, रामनारायण साव, हीरालाल साव, चन्द्रकान्ति देवी, पूनम देवी, कान्ति देवी एवं रानी कुमारी के विरूद्ध परिवाद पत्र दाखिल किया है । परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद पत्र, परिवादी का सशपथ बयान एवं परिवादी के द्वारा प्रस्तुत कराये गये जॉच साक्षियों के साक्ष्यों का अवलोकन किया ।

परिवाद पत्र एवं उपरोक्त जॉच साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर परिवाद पत्र के नामांकित अभियुक्तगण में से अभियुक्तगण नामतः विकास कुमार, काशी नाथ साव, रामनारायण साव एवं हीरालाल साव के विरूद्ध धारा 498ए भा0दं0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है ।

परिवादी को यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध समन निर्गत करने हेतु आवश्यक अपेक्षिकाएँ एक सप्ताह के अंदर दाखिल करे । तत्पश्चात् कार्यालय अभियुक्तगण के विरूद्ध समन निर्गत करे। दिनांकः–07–01–2020 वास्ते अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।